संख्या : 17/2025/1315/94-1-2025-312(83)/2015

प्रेषक,

आशीष कुमार,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 03 जुलाई, 2025**

विषय : रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-05 एवं 07 के अधीन नवसृजित तहसील दादरी-द्वितीय जनपद-गौतमबुद्धनगर में उप रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को संचालित किये जाने हेतु पद सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2377/143-विविध/2022/शि0का0लख0 /2024 दिनांक 24-07-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-05 एवं 07 के अधीन नवसृजित तहसील दादरी-द्वितीय जनपद-गौतमबुद्धनगर में उप रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को संचालित किये जाने हेतु 01 पद उप निबंधक व 01 पद कनिष्ठ सहायक निबंधन के पद सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नवसृजित तहसील दादरी-द्वितीय जनपद-गौतमबुद्धनगर में उप निबंधक कार्यालय के संचालन हेतु निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में दिनांक 28-02-2026 तक के लिए यदि ये पद इससे पूर्व किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	नव सृजित तहसील, जहाँ उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना की जानी है	पदनाम	वेतनमान	अस्थायी रूप से सृजित पदों की संख्या
1-	उप निबन्धक कार्यालय दादरी-द्वितीय जनपद-गौतमबुद्धनगर	उप निबन्धक	लेवल-10, रु० 56100-177500	एक
		कनिष्ठ सहायक (निबन्धन)	लेवल-3, रु० 21700-69100	एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-91 के लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के सुसंगत इकाई से वहन किया जायेगा।

4. नवसृजित उप निबंधक कार्यालय दादरी-द्वितीय जनपद-गौतमबुद्धनगर के कार्यालय व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, विद्युत व्यय, जलकल/ जल प्रभार, लेखन सामग्री व छपाई, टेलीफोन पर व्यय हेतु आवश्यक व्यय क्रय सम्बन्धी सुसंगत नियमों व शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-9-28-X-2025-26 दिनांक 02-07- 2025 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० प्रयागराज।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. सम्बन्धित उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।